वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 25.06.2026 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण, अमर उजाला,भारत एकता टाइम्स," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण –दि0 25.06.2026

बिना स्वीकृति चल रहे 35 कोचिंग सेंटर सील

वीडीए का शिकंजा, भवन के मानकों और अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर की गई बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी : लखनऊ में कोचिंग संस्थान में आग लगने की घटना के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण ने शहर में बिना मानचित्र स्वीकृति और निर्धारित भवन मानकों के विपरीत संचालित कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। बुधवार को विभिन्न जोनों में की गई कार्रवाई के दौरान कुल 35 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को सील कर दिया गया।

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में पाया गया कि कई संस्थान बिना स्वीकृत मानचित्र, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक अनुमतियों के संचालित हो रहे थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27 के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित परिसरों को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। वीडीए अधिकारियों के अनुसार अभियान के दौरान शिवपुर, सिकरौल, सारनाथ, महमूरगंज, सिगरा, दुर्गाकुंड, संकटमोचन, रामनगर और मुग़लसराय क्षेत्रों में संचालित संस्थानों की जांच की गई। जांच में बड़ी संख्या में संस्थान नियमों का उल्लंघन करते मिले।

विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता : वीडीए के उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिना स्वीकृति या भवन मानकों के विपरीत संचालित किसी भी कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। सभी संचालक निर्धारित मानकों, अग्नि सुरक्षा प्रविधानों एवं प्राधिकरण की स्वीकृतियों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

- वीडीए उपाध्यक्ष बोले- जनसुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को नहीं मिलेगी राहत
- शिवपुर, सिकरौल, सारनाथ महमूरगंज, सिगरा, दुर्गाकुंड संकटमोचन क्षेत्र में हुई जांच

कोचिंग संस्थान को सील करते वीडीए के कर्मचारी • स्रोत वीडीए

जनपद में वीडीए की ओर से की गई जोनवार कार्रवाई

जोन-1 (शिवपुर-सिकरौल)
• एपसिस ट्यूटोरियल • थ्री-एस क्लासेस • लिहा एजुकेशन सेंटर/न्यू कौटिल्य एकेडमी • वेलकम टू मोमेंट आइआइटी-जेईई/पीएमटी कोचिंग • बाजीराव आइएएस/आइपीएस कोचिंग सेंटर • रैंकर्स कोचिंग सेंटर

जोन-2 (सारनाथ-आशापुर)
• संजय यादव द्वारा संचालित लाइब्रेरी • सुजीत त्रिपाठी द्वारा संचालित कोचिंग संस्थान

जोन-3 (सिगरा-महमूरगंज)
• डा. राजीव मिश्रा कोचिंग संस्थान फिजिक्स वाला • एसएसआर डांस एंड फिटनेस स्टूडियो

जोन-4 (दुर्गाकुंड-संकटमोचन)
• इशरो कोचिंग संस्थान • इडूजुअल कोचिंग संस्थान • अड्डा कोचिंग संस्थान • माइक्रोटेक कोचिंग संस्थान

जोन-5 (रामनगर-मुगलसराय)
• आर्गन एकेडमी • स्टडी प्वाइंट लाइब्रेरी • नाथ कामर्स क्लासेज • टापर विजन एकेडमी • राय एकेडमी • स्टार इंस्टीट्यूट • एसएएस लाइब्रेरी • पाठक इकोनॉमिक्स प्वाइंट • अमेरिकन कोचिंग • सीबीएस कोचिंग • कामर्स एकेडमी • द मास्टर क्लास एकेडमी • महेंद्रा कोचिंग सहित अन्य संस्थान।

55 कोचिंग संचालकों को नोटिस, तीन संस्थानों पर ताला

- अवैध रूप से संचालित हो रहे निजी कोचिंग संस्थानों के खिलाफ की गई कार्रवाई
- कई संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए और फायर ब्रिगेड की एनओसी भी नहीं थी

जागरण संवाददाता, वाराणसी : बिना पंजीकरण, नवीनीकरण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर अवैध रूप से संचालित हो रहे निजी कोचिंग संस्थानों के खिलाफ क्षेत्रीय उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 55 कोचिंग संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जबकि जांच में गंभीर खामियां मिलने पर तीन कोचिंग संस्थानों को पूरी तरह बंद करा दिया गया है।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डा. ज्ञान प्रकाश वर्मा ने बताया कि विभागीय जांच में नोटिस पाने वाले संस्थानों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई गंभीर मामले सामने आए हैं। कई संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए। फायर ब्रिगेड की एनओसी न होना और बिल्डिंग की मजबूती के मानकों की अनदेखी की गई। छात्र-छात्राओं के लिए पर्याप्त और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था न मिलना, फीस का कोई निश्चित मानक न होना और छात्रों की शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं किया जा रहा था। वर्ष 2002 के बाद से निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य है। इस वर्ष जिले में करीब 1,145 कोचिंगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। पंजीकरण के लिए कई मानक तय किए गए हैं। तीन वर्ष के लिए पंजीकरण शुल्क लिया जाता है। 100 बच्चों के प्रवेश पर 10 हजार रुपये और 100 से अधिक छात्र होने पर 25 हजार रुपये शुल्क देय है। इसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना होता है।

यह दस्तावेज मांगे गए : • कोचिंग विनियमन अध्यादेश 2002 के तहत वैध पंजीकरण और नवीनीकरण प्रमाण पत्र। • अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट। • नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के तहत भूकंप रोधी भवन का प्रमाण पत्र। • पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र। • बहुमंजिला इमारतों के बेसमेंट (तहखाने) में शिक्षण कार्य न करने का 100 रुपये का नोटरी शपथ पत्र (फोटो युक्त)। • छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए क्रियाशील सीसीटीवी कैमरों का प्रमाण। • छात्र और छात्राओं के लिए परिसर में अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था का प्रमाण।

कोचिंग संस्थान के पास पर्याप्त पार्किंग स्पेस होना चाहिए, जिसके लिए नगर निगम के क्षेत्रीय पार्षद का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। साथ ही मुख्य सड़क की चौड़ाई भी मानक के अनुरूप होनी चाहिए। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी नोटिस के तहत कोचिंग संचालकों को एक सप्ताह के भीतर वैध दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया गया है।

संबंधित खबर के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें।

अमर उजाला –दि0 25.06.2026

बिना नक्शा पास 35 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को वीडीए ने किया सील

वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं, कोचिंग संस्थानों की सूची पुलिस को दी

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। वीडीए ने भवन मानकों और मानचित्र स्वीकृति का उल्लंघन करने वाले 35 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया। वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के निर्देश पर बुधवार को कार्रवाई अवैध रूप से संचालित संस्थानों पर की गई है, जिनके पास अनुमतियां नहीं थीं।

जांच में पाया गया कि कई संस्थान बिना मानचित्र स्वीकृति और अग्नि सुरक्षा प्रावधानों का पालन चल रहे थे। इन अनियमितताओं के कारण जनसुरक्षा को खतरा था। वीडीए ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत नोटिस जारी किए थे। वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि जनसुरक्षा से जुड़े मामलों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संस्थानों को निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालन करने को कहा।

वीडीए की टीम ने पांच जोन में कार्रवाई की। कई संस्थान बिना अनुमति बड़े भू-क्षेत्रफल पर थे। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। इसका उद्देश्य शहर में अवैध निर्माण और असुरक्षित संचालन पर रोक लगाना है।

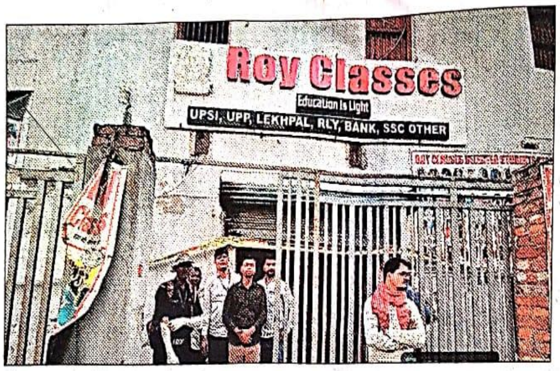

वीडीए ने सील कीं कोचिंग। संवाद

20 कोचिंग संस्थानों में मिलीं खामियां, नोटिस जारी

वाराणसी। लखनऊ के एक कोचिंग में अग्निकांड के बाद मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत और उनकी टीम ने 20 संस्थानों की जांच की। इनमें से कई में गंभीर खामियां पाई गईं, उन्हें नोटिस भी जारी किया गया।

अग्निशमन अधिकारियों ने फायर स्टेशन चेतगंज, पिंडरा और भेलूपुर क्षेत्रों में अभियान चलाया। जांच में कई कोचिंग सेंटरों पर ताला बंद मिला। भोजूबीर के पीडब्ल्यू विद्यापीठ कोचिंग संस्थान में एक सीढ़ी बाधित मिली। कौटिल्य कोचिंग सेंटर और मोमेंटम कोचिंग सेंटर में ताला पाया गया। इनकी सीढ़ियों पर वातानुकूलन इकाई के बाहरी हिस्से लगे थे। पांडेयपुर में लक्ष्य कोचिंग सेंटर का भवन ताला बंद था। ब्यूरो

जोनवार सील कोचिंग

जोन एक : द्वारिका नगर कॉलोनी, भरलाई में सौरभ मौर्या पांडेयपुर का रैंकर्स कोचिंग, अशोक सिंह लक्ष्मणपुर का ट्राईस क्लासेज, शीतल कुशवाहा भरलाई का एपिस ट्यूटोरियल्स, दीप्ति तिवारी शिवपुर का कौटिल्य एकेडमी, प्रभात सिंह महाबीर मंदिर टैगोर टाउन कॉलोनी का मोमेंटम कॅरिअर क्लासेज, रमेश सोनकर टैगोर टाउन का कौटिल्य एकेडमी।

जोन दो : आशापुर सारनाथ में संजय यादव की ओर से 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल भूतल पर संचालित लाइब्रेरी सील किया। सुजीत त्रिपाठी की ओर से पुराना आरटीओ सड़क, सारनाथ में 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में भूतल एवं प्रथम तल पर संचालित कोचिंग सील किया।

जोन तीन : सिगरा-महमूरगंज में डॉ. राजीव महमूरगंज का कोचिंग, विकास दुबे महमूरगंज फिजिक्स वाला, एसएसआर डांस एंड फिटनेस स्टूडियो महमूरगंज का सेंटर।

जोन चार : दुर्गाकुंड-संकटमोचन में इसरो कोचिंग, इंडिविजुअल कोचिंग, अड्डा कोचिंग, माइक्रोटेक कोचिंग सील किया गया।

जोन पांच : रामनगर मुगलसराय में आर्गन एकेडमी रामनगर, अहरार अहमद का स्टडी पॉइंट लाइब्रेरी कटेसर, मोती लाल नाथ (नाथ कॉमर्स क्लासेज), विजय नारायण तिवारी, मुरारी लाल यादव पंचवटी, विनोद सुल्तानपुर, रेखा गुप्ता साहित्यनाका, सौरभ सिंह साहित्यनाका, राजू (नसरूदीन) गोलाघाट, सरजू क्वात्रा, गुरुद्वारा, प्रमोद (टॉपर विजन एकेडमी) नई बस्ती, वीके राय (रॉय एकेडमी) पटेलनगर, दीपक कुमार ओझा (स्टार इंस्टीट्यूट) रविनगर, संजय कुमार पाठक (एसएएस लाइब्रेरी), कैलाशपुरी, चंद्रकांत तिवारी पाठक इकोनॉमिक्स पॉइंट कैलाशपुरी सारांश सिंह अमेरिकन कोचिंग कैलाशपुरी, राम किशुन पोद्दार सीबीएस कोचिंग कैलाशपुरी कोचिंग, ओपी श्रीवास्तव कॉमर्स एकेडमी कैलाशपुरी, सौरभ पांडेय द मास्टर क्लास एकेडमी कैलाशपुरी, आशीष मिश्रा महेंद्रा कोचिंग नई बस्ती।

भारत एकता टाइम्स–दि0 25.06.2026

35 कोचिंग सेंटर व लाइब्रेरी सील

लखनऊ अग्निकांड के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण की लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई, मचा हड़कंप

शिकंजा

✡ वीडीए वीसी ने कहा- भवन मानकों के अनुपालन से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं

भारत एकता टाइम्स/वाराणसी

विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के खिलाफ बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 35 संस्थानों को सील कर दिया। यह कार्रवाई मानचित्र स्वीकृति, भवन निर्माण मानकों, अग्नि सुरक्षा नियमों और अन्य आवश्यक अनुमतियों के उल्लंघन के आरोप में की गई। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और भवन मानकों के अनुपालन से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के निर्देश पर विभिन्न जोनों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान पाया गया कि कई कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी बिना स्वीकृत मानचित्र तथा आवश्यक अनुमति के संचालित हो रहे थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित परिसरों को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। जोन-1 के शिवपुर-सिकरौल क्षेत्र में छह संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

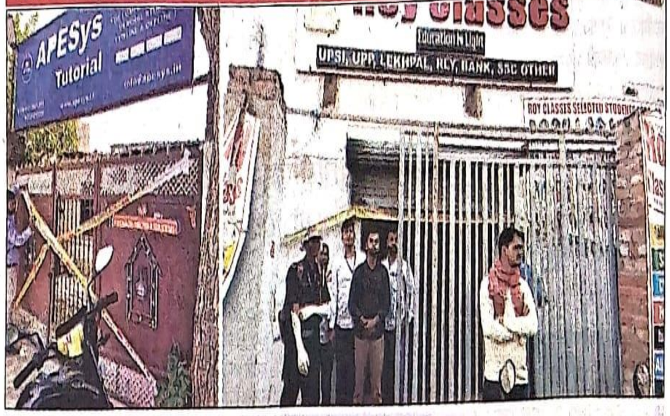

सबसे बड़ी कार्रवाई जोन पाँच में

जोन-4 के दुगार्कुंड-संकटमोचन क्षेत्र में चार प्रमुख कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की गई। इशरो कोचिंग संस्थान, इंडूजुअल कोचिंग संस्थान, अड्डा कोचिंग संस्थान और माइक्रोटेक कोचिंग संस्थान को नियमों के उल्लंघन के चलते सील कर दिया गया। सबसे बड़ी कार्रवाई जोन-5 में की गई, जहां रामनगर और मुगलसराय क्षेत्र में संचालित 20 से अधिक कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को सील किया गया। इनमें ऑर्गन एकेडमी, स्टडी प्वाइंट लाइब्रेरी, नाथ कॉमर्स क्लासेज, टॉपर विजन एकेडमी, राय एकेडमी, स्टार इंस्टीट्यूट, एसएएस लाइब्रेरी, पाठक इकोनॉमिक्स प्वाइंट, अमेरिकन कोचिंग, सीबीएस कोचिंग, कॉमर्स एकेडमी, द मास्टर क्लास एकेडमी और महेंद्रा कोचिंग जैसे संस्थान शामिल हैं। जांच में इन संस्थानों में मानचित्र स्वीकृति और भवन उपयोग संबंधी नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई।

इनमें एपसिस ट्यूटोरियल, थ्री-एस क्लासेस, लिहा एजुकेशन सेंटर/न्यू कौटिल्य एकेडमी सेंटर, वेलकम टू मोमेंट आईआईटी-जेईई-पीएमटी कोचिंग, बाजीराव आईएएस/आईपीएस कोचिंग सेंटर तथा रैंकर्स कोचिंग सेंटर शामिल हैं। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर इन संस्थानों को सील कर दिया। जोन-2 के सारनाथ क्षेत्र में दो प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। आशापुर में बिना स्वीकृति संचालित एक लाइब्रेरी तथा पुराना आरटीओ रोड स्थित एक बड़े कोचिंग संस्थान को सील किया गया। जांच में पाया गया कि दोनों संस्थान आवश्यक स्वीकृतियों के बिना संचालित किए जा रहे थे। जोन-3 के सिगरा-महमूरगंज क्षेत्र में भी तीन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई। इनमें डॉ. राजीव मिश्रा द्वारा संचालित कोचिंग संस्थान, फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर तथा एसएसआर डांस एंड फिटनेस स्टूडियो शामिल हैं। प्राधिकरण ने भवन मानकों के उल्लंघन और आवश्यक अनुमति न होने के कारण इन परिसरों को सील कर दिया। वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने कहा कि सभी कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित भवन मानकों, अग्नि सुरक्षा प्रावधानों और प्राधिकरण से प्राप्त अनुमतियों के अनुरूप ही संचालन करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

15 कोचिंग सेंटरों को नोटिस, मैनेजर भागे

अग्निशमन विभाग और वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की संयुक्त टीम ने बुधवार सुबह 11 बजे से दुगार्कुंड, संकटमोचन, मकबूल आलम रोड तथा खजूरी क्षेत्र स्थित विभिन्न कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई संस्थानों में अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी सामने आई। जिससे प्रशासनिक अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। निरीक्षण के दौरान माइक्रोटेक कोचिंग में स्मोक डिटेक्टर बंद पाए गए। वहीं जेवीकेवी कोचिंग सेंटर में सुरक्षा व्यवस्था केवल अग्निशमन यंत्रों के भरोसे संचालित होती मिली। कई अन्य संस्थानों में आपातकालीन निकास मार्ग, फायर अलार्म सिस्टम तथा अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरणों की कमी भी दर्ज की गई। अधिकारियों के अनुसार कुल 15 कोचिंग सेंटरों में विभिन्न प्रकार की कमियां पाई गई हैं। इन सभी संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर खामियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। चेतावनी दी गई है कि नियमों का पालन नहीं करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की कार्रवाई की भनक लगते ही कुछ कोचिंग संस्थानों ने अपने केंद्र बंद कर दिए। कौटिल्य अकादमी और मोमेंटम जैसे संस्थान निरीक्षण के दौरान बंद मिले।